

I

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 26/5/18

सं० सं०-17/ए 1-01/2018-342/17/स्वा०, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सुपर-स्पेशियलिटी युरोलॉजी विभाग में कार्यरत सह-प्राध्यापक डा० अजीत कुमार सिंह को प्राध्यापक के पद पर (वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड पे० 8700 रु० प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-13 में) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-105 दिनांक-25.01.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-106 दिनांक-27.01.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत योगदान की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
3. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017(एस०एल०पी०(सी०) संख्या-29770/2015 से उद्भूत) बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी० संख्या-173/2018, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2018-342(17)/स्वा० पटना, दिनांक :- 26/5/18

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग
पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2018-342(17)/स्वा० पटना, दिनांक :- 26/5/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/ प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय
एवं अस्पताल/ डा० अजीत कुमार सिंह, नवप्रोन्नत प्राध्यापक, सुपर-स्पेशियलिटी युरोलॉजी विभाग
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 1-01/2018 - 342/17 /स्वा० पटना, दिनांक :- 26/5/17

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव(डा० कौशल किशोर) के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 17 एवं 18ए/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
26/5/17